

क्रमांक :- प.19 (4) सा.प्र./गुप-4/14

जयपुर, दिनांक 3-7-14

मुख्य अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)  
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 7.10 लाख (अक्षरे रुपये सात लाख दस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदया की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	श्री रामकरण मीणा एफ-42 गांधीनगर	1.चारदीवारी 2.ए.सी. शेड	0.35 0.14	0.49
2	श्री मुकेश सिंघल एफ-92 गांधीनगर	1.ए.म. डोर 2.फाईबर शीट 3.स्टोन श्लैब 4.विन्डो 5.चारदीवारी	0.14 0.03 0.01 0.04 0.22	0.44
3	श्री सोहन लाल एफ-96 गांधीनगर	1.कार शेड 2.चारदीवारी 3.लैट/बाथ रिनोवेशन	0.19 0.21 0.15	0.55
4	श्रीमती सीमा राठोड एफ-144 गांधीनगर	1.चारदीवारी	0.49	0.49
5	श्रीमती चन्द्रा एफ-155 गांधीनगर	1.कारशेड 2.रफकोटा स्टोन	0.34 0.14	0.48
6	श्री हंसराज एफ-163 गांधीनगर	1.ए.सी. शेड 2.विन्डो 3.फ्ल्याडोर 4.चारदीवारी	0.26 0.04 0.05 0.14	0.49
7	श्रीमती नीता एफ-165 गांधीनगर	1.ए.सी. शेड	0.49	0.49
8	श्री अशोक कुमार एफ-178 गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.टाईल फर्श 3.रफकोटा स्टोन 3.विन्डो	0.10 0.22 0.07 0.08	0.47
9	श्री अनिल शर्मा एफ-185 गांधीनगर	1.चारदीवारी 2.डोर 3.विन्डो	0.39 0.05 0.04	0.48
10	श्री ए.म.एस. राजावत एफ-459 गांधीनगर	1.वाटर टैंक 2.फ्लिंग सिस्टर्न विद जी. आई पाईप 3.फाईबर शेड	0.04 0.05 0.40	0.49
11	श्री.डी.एस. सेनी एफ-492 गांधीनगर	1.डोर	0.10	0.10
12	श्री देवेन्द्र सिंह 4/14 गांधीनगर	1.टीन शेड 2.विन्डो 3.चारदीवारी ऊंची करना 4.चारदीवारी 5.डोर	0.31 0.08 0.09 0.16 0.04	0.68

13	श्री दख सिंह 4/35 गांधीनगर	1. कियन रिनोवेशन 2. बाथ रिनोवेशन 3. जी.आई पाईप	0.23 0.22 0.04	0.49
14	श्रीमती पूजा अवस्थी 4/62 गांधीनगर	1. चारदीवारी ऊंची करना 2. विन्डो/ डोर	0.35 0.12	0.47
15	श्री गणेश पंवार 4/69 गांधीनगर	1. चारदीवारी ऊंची करना 2. डोर/ विन्डो 3. रफकोटा स्टोन 4. परदी विद प्लारटर 5. आलमारी शेल्ज	0.20 0.08 0.16 0.01 0.04	0.49
		कुल योग रुपये	-	7.10

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी व उनके समकक्ष अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।  
कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

*sd*

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिवधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशारी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
5. संबंधित आवासी।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (क)